अरविन्द आर. कौशल
अपर सचिव, डेयर एवं
सचिव, भा.कृ.अनु.प.
टेली फोन नं0 01123384450
Email: secy.icar@nic.in

TELEPHONE OFF. : 23388991 EXTN./..........
FAX : 011 - 23387293
WEBSITE : www.icar.org.in

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001

फा0 सं0 रा.भा. 1(4)/2014–हिन्दी

दिनांक 22 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों हेतु विचारणीय मुद्दे

उपर्युक्त विषय में राजभाषा विभाग के निदेशक (नीति) ने अपने दिनांक 10 जून 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं0 120/9/86/2014 रा.भा. (का. 2) के माध्यम से सूचित किया है कि मंत्रालयों/विभागो/ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अपेक्षित एवं प्रभावशाली चर्चा नहीं हो पा रही हैं। अतः जिस उद्देश्य के लिए इन समितियों का गठन किया गया है वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

राजभाषा विभाग ने उक्त कार्या. ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवश्य चर्चा की जाएं :–

1. धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना।
2. हिन्दी में पत्राचार की स्थिति।
3. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना।
4. फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण लिखना।
5. हिन्दी (भाषा, टंकण व आशुलिपि) का प्रशिक्षण।
6. वेबसाईट पूरी तरह से द्विभाषी बनाना और उसे समय–समय पर अद्यतन करना।
7. विभागीय आई.टी. सिस्टमों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा व इसका प्रयोग सुनिश्चित करना।
8. कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनाना।
9. सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा (यूनिकोड में) उपलब्ध कराना।
10. राजभाषा संबंधी निरीक्षण की स्थिति।
11. अनुभागों को अपना पूरा काम हिन्दी में करने के लिए अधिसूचित करना।
12. कार्यालय से संबंधित अन्य विशेष मुद्दे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि परिषद के अधीनस्थ कई संस्थानों से प्राप्त रा.भा. कार्या. समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों की समीक्षा में यह पाया गया है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा के बजाय अन्य विषयों पर उक्त बैठकों में चर्चा की गई है। अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने संस्थान की रा.भा. कार्या. समिति की प्रत्येक बैठक में इन बिन्दुओं पर अनिवार्य चर्चा को सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से परिषद को भी अवगत कराएं। ।

(अरविन्द आर. कौशल)
सचिव, भा.कृ.अनु.प.

वितरण :

1. भा.कृ.अनु.प. के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक।
2. गार्ड फाइल।